Amity Youth Fest 2025
5th-6th March 2025

स्टूडेंट बार फोरम
प्रस्तुत करता है

८ एमिटी राष्ट्रीय हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता २०२५

@_studentsbarforum_
studentbarforum@gmail.com

अवधारणा पत्र

“ वीर भोय वसुंधरा ”

न चोरहाय न च राजहाय न भ्रातृभाज्यं न च भारकरि।
ये कृ ते वधते एव नयं वाधनं भाषाधनं सवधनधानम् ।।

अर्थात न तो यह चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न ही किसी राजा द्वारा छीना जा सकता है, न हीं संपत्ति के जैसे भाइयों में बांटा जा सकता है तथा इसका कोई जिस्मानी वज़न न होने की वजह से यह बोझ भी नहीं बनता। ज्ञान तथा भाषा का धन सभी अन्य धनों में सर्वश्रेष्ठ है जो कि खर्च करने पर बढ़ता जाता है।

भाषा विकास का सारथी है और यह विचारों को व्यक्त करने का प्रमुख साधन है। यह वही माध्यम है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के मन की बात को शब्दों तथा वाक्यों में पिरोकर के समूह से मिलाकर कसी के भी सक्षम सार्थक रूप से पेश किया जा सकता है।

समकालीन समय में जब कानूनी शिक्षा एक बहुत ही समृद्ध और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभर रही है, इसकी शिक्षा के सर्वोच्च वितरण एवं विद्वानों तक पहुँचाने में भाषा एक काफ़ी बड़ी समस्या है।

एक संयुक्त राष्ट्र होने के नाते हमारे लिए शिक्षा के क्षेत्र में भाषा के माध्यम को चुनना अपने आप में एक चर्चा का विषय है और इस पर निर्णय करना कि वह सब की जरूरतों को पूरी करेगा और सबके लिए सुलभ होगा यह स्पष्ट करना काफी कठिन है। भाषा ज़रिया है जिससे हमने ज्ञान को अर्जित किया तथा यह वह माध्यम है जिससे हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं ।

“ वीर भोग्य वसुंधरा "

न्यायिक परिपेक्ष में भी हिंदी की प्रासंगिकता अछूती नहीं है । सरकारी परीक्षाएँ हों या फिर कचहरी का काम हिंदी की अनिवार्यता पर आक्षेप करना अनुचित होगा । हिंदी भाषा में कानूनी कामकाज की महत्वता को मद्देनज़र रखते हुए एमिटी विधि संस्थान, एमिटी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में ८ एमिटी राष्ट्रीय हिंदी अभ्यासी न्यायालय प्रतियोगिता २०२५ (8th Amity National Hindi Moot Court Competition, 4, 5 और 6 मार्च 2025) का भव्य आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता की वाद समस्या के अध्ययन हेतु विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून को संदर्भ में रख कर पढ़ा, भारतीय दंड संहिता एवं अन्य आपराधिक कानूनों कोक संदर्भ में रखकर पढ़ा जा सकता है। आशा करते हैं कि आप सभी अपनी सफल प्रतिभागिता से हिंदी भाषा को समर्पित इस शैक्षणिक यज्ञ में अपने प्रयत्नों से आहुति देंगे ।

एमिटी लॉ स्कूल के बारे में

एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा कानून के क्षेत्र में स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक शैक्षिक समाज आरबीईएफ (रितनंद बाल्वेड एजुकेशन फाउंडेशन) द्वारा स्थापित एक संस्था है। संस्थापक ट्रस्टी, एक एनआरआई, और एक उद्योगपति, और आरबीईएफ के अध्यक्ष, डॉ० अशोक के० चौहान एक प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। एमिटी लॉ स्कूल में अध्यापन ३ नवंबर २००४ से शुरू हुआ।

आयोजकों का संदेश

प्रिय प्रतिभागियों,

एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी विश्वविद्यालय की ओर से हम आपका आठवीं एमिटी राष्ट्रीय हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता २०२५ के लिए आप सभी का स्वागत करते हैं।

यह मंच नवोदित वकीलों के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से तैयार और समर्पित है। हम इस आयोजन को पूरे देश में अपनी तरह के अनूठे आयोजन के रूप में घोषित करते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। यह कानून के छात्रों को कानून के ज्ञान की जांच करता है।

यह वास्तव में युवा कानून के उम्मीदवारों को ऐसा मंच उपलब्ध कराने का एक प्रयास है ताकि वे अदालत की जड़ों को समझ सकें, जो किसी के समग्र सीखने के अनुभव का एक व्यापक क्षितिज खोलते हैं। कानून के अग्रणी संस्थानों में से और दुनिया भर में बढ़ती कानूनी श्रृंखलाओं में से, हम प्रतिभाशाली और उज्ज्वल छात्रों को समग्र और सार्थक कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

इस तरह के प्रयासों के दौरान, आठवीं एमिटी राष्ट्रीय हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता २०२५ में भाग लेने से छात्रों को दुनिया के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। एक अच्छा अधिवक्ता बनना एक धीमी गति से पकने वाला फल है और यह मूटिंग द्वारा किया जाता है। यह मूट कोर्ट प्रतियोगिता अनुभव छात्रों को कानूनी प्रक्रिया की समग्र समझ देगा और उम्मीदवारों को वकीलों की तरह सोचने, कार्य करने और प्रतिक्रिया करने के लए प्रशिक्षित करेगा।

अत्यन्त जोश और उत्साह रखते हुए, हाथ जोड़कर हम इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रचार करने के लिए सौहाद्रपूर्ण निमंत्रण देते हैं और इसे अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के लिए संचालित करते हैं।

आप सभी के साक्षी होने की उच्च आशाओं के साथ,

सादर,
आयोजक समिति,
आठवीं एमिटी राष्ट्रीय हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता २०२५
स्टूडेंट बार फोरम

१. प्रतियोगिता का आयोजन

१.१ शासन प्रबंध

- राष्ट्रीय हिन्दी मूट प्रतियोगिता २०२५ एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी, सेक्टर 125 नॉएडा के स्टूडेंट बार फोरम द्वारा आयोजित और प्रशासित किया जाता है।
- प्रतियोगिता 4, 5 और 6 मार्च, २०२५ को आयोजित की जायेगी
- संयोजक प्रोफेसर गार्गी भदौरिया, एमिटी लॉ स्कूल, मूट प्रतियोगिता की फैकल्टी संयोजक है।

१.२ भाषा

- प्रतियोगिता हिन्दी भाषा में आयोजित की जायेगी। सभी राउंड और लिखित बहस सबमिशन हिन्दी में होगी।

१.३ प्रतियोगिता की संरचना

- लिखित बहस को जमा करने वाले समूहों को ही प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी, जिसमें प्रारंभ के राउंड, सेमी फाइनल और फाइनल सम्मिलित है।

१.४ नियमों की व्याख्या

- संयोजक इन नियमों के कार्यान्वयन और व्याख्या के अंतिम मध्यस्थ के रूप में काम करेगी।

२. भागीदारी की व्याख्या

२.१ पात्रता

- एक समूह में एक से अधिक संस्थानों के सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसी तरह, दो से अधिक समूह किसी भी संस्थान से भाग नहीं से सकती हैं।

२.२ समूह रचना

- प्रत्येक समूह में तीन सदस्य होंगे, जिसमें दो अभिवक्ता और एक शोधकर्ता शामिल होंगे।
- किसी भी समूह के सदस्य को प्रतिस्थापन की पंजीकरण के बाद बदलने की अनुमति नहीं है। हालाकि अगर विपरीत मामलों में यह बदलना पड़े तो संयोजक की जनुमति से ही हो पायेगा।
- समूहों में केवल एक ही शोधकर्ता हो सकता है।
- एक समय में केवल एक वक्ता को बोलने की अनुमति दी जाएगी।

३. पंजीकरण

ऑनलाइन पंजीकरण प्रारूप समूहों को ("१० फरवरी २०२५") तक ("studentbarforum1@gmail.com") पर ईमेल भेजकर पंजीकरण कराना होगा, प्रत्येक समूह को एक कोड आवंटित किया जायेगा।

३.१ पंजीकरण शुल्क- ४५००/- +GST

३.२ पंजीकरण हेतु लिंक: https://forms.gle/ehdfhveGJho7ztPX9

४. लिखित बहस

४.१ लिखित बहस प्रस्तुतिकरण

प्रतियोगिता में पंजीकृत प्रत्येक समूह को याचिका कर्ता के पक्ष से तथा एक प्रतिवादी के पक्ष से लिखित बहस तैयार करना होगा ।

• प्रत्येक समूह को अपनी लिखित बहस को दिनांक २५ फरवरी २०२५ तक जमा करना होगा ।

• समय सीमा के भीतर प्रस्तुत लिखित का मूल्यांकन नियम में प्रदान किये गए मापदंडो के अनुसार किया जायेगा ।

• प्रतियोगिता के पूरे होने के बाद, आयोजक प्रस्तूत लिखित बहस का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

• लिखित बहस को आखरी तारीख़ तक जमा ना करने में असामर्थ्य होने वाली समूहों के हर दिन के आधार पर 5 अंक काट दिए जायेंगे।

'एक हफ्ता पश्चात लिखित बहस जमा करने वाली समूहों को निष्काषित घोषित कर दिया जायेगा ।

४.१ लिखित बहस प्रारूप

१. लिखित बहस की भाषा देवनागरी तथा शुद्ध होनी चाहिए I (Kruti Dev 010, Mangal Regular, DevLys 010 Normal.)

२. लिखित बहस का प्रस्तुतिकरण ऑनलाइन माध्यम से ही होगा ।

३. कवर पेज और पृष्ठ संख्या को छोड़कर, लिखित बहस के सभी हिस्सों की फॉन्ट शैली और आकार, देवनागरी 12-बिंदु में होनी चाहिए और फुटनोट 10-बिंदु में होना चाहिए।

४. लिखित बहस के सभी भागो के पाठ का अंतर 1.5 होना चाहिए I फुटनोट को सिंगल लाइन स्पेसिंग के साथ अलग किया जाना चाहिए I

४.३ लिखित बहस

(क) लिखित बहस में निम्नलिखित खंड शामिल होने चाहिए :

- कवर पेज (याचिका कर्ता /प्रतिवादी के आधार पर नीला / लाल)
- तथ्यों का विवरण
- मुद्दों का विवरण
- तर्क के विवरण
- प्रार्थना

(ख) लिखित बहस १ - २ हज़ार शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ग) फुटनोट के लिए ब्लूबुक के २० वे संस्करण का पालन करना होगा ।

५. मूट प्रक्रिया

५.१ सामान्य प्रक्रिया

- मौखिक दौर में दो प्रारंभिक दौर, सेमी फाइनल और फाइनल राउंड शामिल होंगे।
- आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाली समूह सबसे पहले अपनी दलीले प्रस्तुत करेंगी, उसके बाद समूह प्रतिबादी का प्रतिनिधित्व करेंगी। तर्कों के पूरे होने पर, प्रत्येक समूह के पास दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्वकि करने का विकल्प होगा । जजो के विवेक के अधीन सुर-खंडन (Rebuttal) की अनुमति नही होगी!
- प्रारंभिक राउंड के लिए प्रत्येक समूह द्वारा प्रस्तुत पक्ष और विपक्ष के लिए वक्ता स्कोर का कुल योग होगा।

५.२ मौखिक प्रक्रियाओं के लिए प्रक्रिया

- प्रत्येक समूह को अपनी दलील प्रस्तुत करने के लिए ३० मिनट आवन्तिक किये जायेंगे, इसमें न्यायाधीशों के विवेक के अधीन, उव्रत, खंडन और सुर-खंडन आवंडित समय में ही शामिल होगा ।
- दो वक्ताओं के बीच समय का विभाजन समूह के विवेक पर निर्भर है, हालाकि,
- प्रत्येक बक्ता को न्यूनतम १० मिनट तक बोलना होगा ।
- लिखित बहस में मौखिक तर्कों को मुद्दों से आगे नहीं बढ़ना चाहिए ।
- शोधकर्ताओं को बोलने वालो के साथ मौखिक दौर के लिए बैठने की अनुमति है ।
- मौखिक दौर के लिए अधिकतम अंक प्रतिन्यायधीश प्रतिवक्ता १०० अंक होंगे।
- मौखिक दौर का मूल्यांकन १०० अंकों में से किया जायेगा और मूल्यांकन किया जायेगा ।

- न्यायपीठ, प्रारंभिक दौर में कम से कम दो न्यायधीशों का गठन करेंगे।
- प्रारंभिक दौर में कोई भी समूह एक से अधिक बार एक ही बेंच का सामना नहीं करेगी।
- प्रत्येक समूह के लिए कुल स्कोर प्रारंभि के दौर का योग होगा।

५.५ सेमी फाइनल

- दोनों प्रारंभिक दौर के अंक जोड़ के जो भी समूह के सबसे अधिक अंक होंगे वह चार समूह सेमि फाइनल में जायेंगे।
- सेमि फाइनल राउंड नॉक आउट राउंड्स होंगे।

५.६. फाइनल

- दो सेमी फाइनल में से प्रत्येक विजेता समूह फाइनल राउंड के लिए प्रतिस्पर्धी होगी । फाइनल राउंड के विजेता को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जायेगा।

६. शोधकर्ताओं का परीक्षण

- शोधकर्ताओं का परीक्षण प्रतियोगिता के पहले दिन पर आयोजित किया जायेगा।
- परीक्षण केबल ६० (60) मिनट के लिए होगा।
- परीक्षण में संवैधानिक, आपराधिक कानून और मुद्दों के आधार पर उद्देश्य और विश्लेषणत्मक प्रश्न व दोनों शामिल होंगे।

७. स्काउटिंग (ताक-झाक)

- समूहों को किसी अन्य समूह के अंकों का निरक्षण करने की अनुमति नहीं है।
- जब तक की उन्हें अधिकारिक तौर पर प्रतियोगिता से बाहर नहीं कर दिया हो, स्काउटिंग सख्त वर्जित है।
- किसी भी समूह द्वारा की गयी स्काउटिंग उन्हें अयोग्य कर देगी।

८. पुरस्कार

- विजेता समूह पुरुस्कार:
- रनर अप समूह पुरुस्कार:
- श्रेष्ठ शोधकर्ता पुरस्कार:
- श्रेष्ठ बक्ता पुरस्कार:
- रनर अप वक्ता पुरस्कार:

{ ₹60,000 की धनराशि का पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्राप्त करें }

९. गुमनामी

- प्रतियोगिता के दौरान सभी समूहों को उनके समूह कोड का ही उपयोग करना होगा।
- प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी के दौरान सभी समूह के सदस्यों को किसी भी समय और किसी भी तरीके से अपनी संस्था की पहचान का खुलासा करने से बचना होगा।
- इस नियम का पालन न करने पर समूह को तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में संयोजक का निर्णय अंतिम होगा।
- राउंड के परिणाम के सम्बन्ध में न्यायधीशों का निर्णय अंतिम होगा।

सामान्य और तकनीकी निर्देश:

1. दोनों मौखिक राउंड्स के लिए वेश भूषा औपचारिक होगी।

2. संग्रह विवरण (Compendium Details) संकल्पना मुख्य पृष्ठ याचिकाकरता के लिए नीला तथा प्रतिवादी के लिए लाल होना चाहिए।

3. सभी प्रतिभागिओं को नियम पुस्तक के अनुसार अपने तर्क स्थापित समय में ही पूरे करने होंगे। विभित्र दौरों के अनुसार आवंटित समय के बाहर जाने पर अगला वक्त घटा दिया जाएगा, परन्तु यह भी न्यायाधीशों के फैसले के ऊपर निर्भर करता है।

4. सभी शोधकर्ताओं के पेपर निर्धारित समय के अंदर ही जमा हो जाने चाहिये अन्यथा समय से बहार हो जाने पर उनके पेपर जमा नहीं किये जायेंगे।

ध्यान रखें यदी दो या अधिक शोधकर्ता को एक ही अंक प्राप्त हैं तो उनके लिखित बहस के अनुसार रैंक तय की जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

1.पंजीकरण कि अंतिम तिथि: २० फरवरी २०२५

2. लिखित तर्क प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: २५ फरवरी २०२५

3. प्रतियोगिता संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु अंतिम तिथि: २५ फरवरी २०२५

4. प्रतियोगिता कि तिथि: ४, ५ और ६ मार्च, २०२५

5. ओरिएंटेशन एवं ड्रॉ ऑफ लॉट्स कि तिथि: ४ मार्च २०२५

6. शोधकर्ताओं का परीक्षणः ४ मार्च २०२५

7. प्रारंभिक और सेमि राउंड्स की तिथि: ५ मार्च २०२५

8. अंतिम चरण एवं समापन समारोहः ६ मार्च २०२५